13/11/2017

पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप०। बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया। विपक्षीगण के द्वारा प्रा० पत्र का खण्डन नहीं किया जो कि प्रा० पत्र के तथ्यों की पुष्टि →

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:07:03 IST
Reason: SelfAttested

→ होती है। अतः प्रार्थी का प्रा० प० अन्तर्गत
धारा 212 RTA स्वीकार किया जाता है
तथा आदेश ओरछीना दि० 23/5/2014 निरस्त
किया जाता है तथा विपक्षीगण को मूल
वाद के निस्तारण तक नीचे अस्थायी निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया जाता है कि मौजा —
मोहम्मदपुरा की आ० नं० 18, 27 कित्ता-2 कुल
रकबा 1.02 हेक्टेयर एवं आ० नं० 17, 24, 25
कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.37 हेक्टेयर
भूमि से संबंधित सम्बन्ध रूप एवं मौके
की यथास्थिति कायम रखें तथा किसी प्रकार
का परिवर्तन नहीं करें न स्वयं किसी प्रतिनिधि
के माध्यम से करायें। निर्णय खुले न्यायालय
लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली पेशकार
सुपुर्द होकर नम्बर से दर्ज हो।

13-11-17

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:07:03 IST
Reason: SelfAttested